झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा | द्वितीय सत्र(बजट)

संख्या-18 | शुक्रवार, दिनांक-27 मार्च, 2015 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 4.20 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1.विविध चर्चायें:-

क- राज्य में घोर बिजली एवं पेयजल की समस्यओं की ओर माननीय सदस्य, सर्वश्री स्टीफन मराण्डी, प्रदीप यादव, कुणाल षडंगी, आलमगीर आलम, ईरफान अंसारी सहित अन्य कतिपय माननीय सदस्यों ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया। इस सम्बन्ध में आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इस निमित्त माननीय सदस्य, श्री स्टीफन मराण्डी, श्री प्रदीप यादव एवं श्री आलमगीर आलम से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। यद्यपि यह प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है तथापि राज्य में बिजली पानी की समस्याओं पर आज दिनांक- 27.03.2015 को सरकारी कार्यो के निष्पादनोपरांत सदन की सहमति से चर्चा कराये जाने सम्बन्धी नियमन आसन से दिया गया,

ख- सदन के बाहर अपनी मांगों को लेकर माननीय सदस्य, श्री फूलचन्द मण्डल एवं श्री अरुप चटर्जी द्वारा धरने पर बैठे होने की जानकारी माननीय सदस्य, श्री निर्भय कुमार शाहाबादी द्वारा आसन को दी गयी तदुपरांत आसन के निदेशानुसार माननीय मंत्री, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य, श्री स्टीफन मराण्डी तथा श्री आलमगीर आलम द्वारा उन्हें ससम्मान सदन में लाया गया,

ग- अखबारों में सी.ए.जी. के प्रतिवेदन पर प्रकाशित समाचार के आलोक में जांच कराये जाने की मांग माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने सरकार से की।

2.प्रश्न काल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्नवत् हुआ-

(क) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-30

(i) उत्तरित कुल-03-, अ०सू०-336, श्री बादल, स० वि० स०,

अ०सू०-क-223,श्री अरुप चटर्जी, स० वि० स०,

(आज द्वितीय पाली में बिजली-पानी पर होनेवाली चर्चा के दौरान विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रभारी मंत्री को आसन द्वारा निदेश दिया गया।)

अ०सू०-237, श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स० वि० स०।

(ii) अनागत कुल-27-अ० सू०-238 से अ० सू०-264 तक।

(ख) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-18

(i) उत्तरित कुल-06- तारांकित-क-666-पथ-45, डॉ० जीतू चरण राम, स० वि० स०,

तारांकित-789, श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स० वि० स०,

तारांकित-790, श्री मनीष जयसवाल, स० वि० स०,

तारांकित-791, श्री मनीष जयसवाल, स० वि० स०,

तारांकित-792, श्री प्रकाश राम, स० वि० स०,

क्र०पृ०उ०

तारांकित-793, श्री चमरा लिण्डा, स० वि० स०।

(ii) अनागत कुल-12-तारांकित-794, से तारांकित-805 तक।

3.शून्यकाल:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने शून्यकाल की सूचनायें पढ़ीं -

श्री जगरनाथ महतो,
श्री दशरथ गागराई,
श्रीमती गंगोत्री कुजूर,
डॉ० अनिल मुरमू,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,
श्री निरल पुरती,
श्री नागेन्द्र महतो,
श्री बिदेश सिंह,
श्री जय प्रकाश सिंह भोगता,
श्री प्रदीप यादव,
श्री जानकी प्रसाद यादव,
श्री राज सिन्हा,
श्री अरुप चटर्जी,
श्री ईरफान अंसारी,
श्री पौलुस सुरीन,
श्री योगेश्वर महतो,
श्री आलमगीर आलम,
श्री हरिकृष्ण सिंह,
श्री कमल किशोर भगत,
श्री स्टीफन मराण्डी,
श्री बादल,
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता,
श्री जय प्रकाश भाई पटेल,
श्री नारायण दास,
श्री कुणाल षडंगी।

4.ध्यानाकर्षण सूचनायें एवं उसपर सरकार की ओर से वक्तव्य:-

i- श्री योगेन्द्र प्रसाद एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार की ओर से वक्तव्य हुआ,

ii- श्री स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार की ओर से वक्तव्य हुआ।

(माननीय सदस्य, श्री निर्भय कुमार शाहाबादी ने झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यों के निमित्त **Logo** निर्धारित करने हेतु आसन से आग्रह किया।)

क्र०पृ०उ०

(अन्तराल)

अन्तराल के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण ने बोकारो जिले में कल्ह हुई ओलावृष्टि के कारण प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। माननीय सदस्य, श्री फूलचन्द मण्डल ने पी.डब्ल्यू.डी. के कार्यपालक अभियंता पर सदन की अवमानना किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया। इसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर, श्री कुणाल षडंगी, श्री ईरफान अंसारी एवं श्री शिवशंकर उरांव ने भी किया।

5.विधायी कार्य:-

(क) "झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015"

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया। पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तदुपरांत खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-2 से 6 तक खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से प्राप्त सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

"**झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015**" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(ख) "झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015"

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया। पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तदुपरांत खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-2 से 6 तक खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से प्राप्त सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधन अस्वीकृत हुआ।

"**झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015**" सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

6.विशेष चर्चा:-

प्रथम पाली में आसन से दिये गये नियमन के आलोक में राज्य में बिजली-पानी की समस्या पर हुई विशेष चर्चा में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया-

श्री राधाकृष्ण किशोर,
श्री स्टीफन मराण्डी,
श्री राज सिन्हा,
श्री आलमगीर आलम,
श्री ढुलू महतो,
श्री जगरनाथ महतो,
श्री अशोक कुमार,
श्री प्रदीप यादव,
श्री मनीष जयसवाल,
श्री ईरफान अंसारी,
श्री अरुप चटर्जी,

क्र.पृ.उ.

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री अरुप चटर्जी ने आरोपित कार्यपालक अभियंता, धनबाद, श्री संजय कुमार को आसन द्वारा दिये गये नियमन के बावजूद भी निलंबित न कर रांची स्थानांतरित किया जाना, सदन की अवमानना बताया। इसपर आसन द्वारा पुनः सरकार को निदेश दिया गया कि उक्त अभियंता को निलंबित कर दिनांक-30.03.2015 को प्रथम पाली में वह सूचित करे।)

विशेष चर्चा के बाद सरकारी उत्तरोपरांत सभा की कार्यवाही, सोमवार, दिनांक-30.03.2015 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,

दिनांक- 27 मार्च, 2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।